

अध्याय 2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

2.1.1 कर प्रबंध

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर कानून तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों का सरकारी स्तर पर अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा प्रबंध किया जाता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ईटी.सी.), आबकारी एवं कराधान विभाग का मुख्य होता है जिसकी सहायता नौ अपर-ईटी.सीज, 10 संयुक्त-ईटी.सीज, 50 उप-ईटी.सीज और 203 आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ईटी.ओज) द्वारा की जाती है। संबंधित कर कानूनों और नियमों के प्रबंध के लिए उनकी सहायता आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों और अन्य संबद्ध स्टॉफ द्वारा की जाती है।

2.1.2 लेरवापरीक्षा के परिणाम

2013 - 14 में वैट/बिक्री कर निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों से संबंधित 40 (राजस्व इकाइयां: 32 तथा व्यय इकाई: 8) के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 1,169 मामलों में ₹ 1,308.59 करोड़ से आवेष्टित कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं दर्शाई जो तालिका 2.1 में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

तालिका 2.1

(₹ करोड़ में)			
क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1	पारगमन बिक्री की गलत छूट	1	228.07
2	वैट का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटी.सी.)	1	24.22
3	कर का अवनिर्धारण	536	621.65
4	दोषपूर्ण साविधिक 'फार्म' का स्वीकरण	181	160.98
5	विक्रयों/क्रयों को छिपाने के कारण कर का अपवंचन	67	10.53
6	आईटी.सी. की अनियमित/गलत/अधिक अनुमति	105	39.76
7	अन्य अनियमितताएं	278	223.38
	योग	1,169	1,308.59

वर्ष के दौरान, विभाग ने 164 मामलों में ₹ 11.83 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियां स्वीकार की जिसमें से 14 मामलों में आवेष्टित ₹ 4.40 लाख वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 117 मामलों में ₹ 1.10 करोड़ वसूल कर लिए थे जिनमें से ₹ 3.72 लाख से आवेष्टित 14 मामले वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के थे।

₹ 266.99 करोड़ के कुछ व्याख्यात्मक मामलों की चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है।

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

2.2 वैट का इनपुट टैक्स क्रेडिट

हरियाणा राज्य में वैट 1 अप्रैल 2003 में शुरू किया गया था। एक डीलर आई.टी.सी. के समायोजन के बाद निवल कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। आई.टी.सी. का दावा केवल स्थानीय अर्थात् राज्य के भीतर की गई खरीद पर किया जा सकता है और खरीदने तथा बेचने वाले दोनों डीलरों को एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। आगे, अनुसूची - ई के साथ पठित अधिनियम की धारा - 8 तथा समय - समय पर यथा संशोधित नियम 20 और 40, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की स्वीकार्यता, परिगणना, अस्वीकार तथा रिवर्सल को विनियमित करता है। आई.टी.सी. के कपटपूर्ण दावे का पता लगाने और डीलरों के मध्य विक्रय/क्रय संपादनों के सत्यापन के लिए वैट को विभाग के भीतर एक न्यूनतम स्तर पर कम्प्यूटरीकरण की भी आवश्यकता थी। कम्प्यूटरीकरण का एक अभिन्न भाग, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) विभाग को अधिक दक्ष, अनुक्रियाशील तथा उत्तरदायी बनाने में सहायता करती है।

2008 - 09 से 2012 - 2013 तक की अवधि की मार्च से जून 2014 के दौरान लेखापरीक्षा की गई, तथा प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज मैथड (विदाउट रिप्लेसमेंट) अप्लाई करके रेंडम सैंपल सलैक्शन आधार पर चयन किए गए 23 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों में से 12¹ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालय आवृत्त किए गए थे। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान सरकार द्वारा प्रकट विचार ध्यान में रखे गए हैं तथा उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

2.2.1 आई.टी.सी. का गलत दावा

समरूप नियमों के साथ पठित एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान के अनुसार एक डीलर को, ऐसे माल या उससे विनिर्मित माल, भारत की सीमा से बाहर माल के निर्यात को छोड़कर, के विक्रय पर उसके आऊटपुट कर के विरुद्ध विक्रेता डीलरों द्वारा उसको बेचे गए माल पर राज्य को भुगतान किए गए कर के कारण आई.टी.सी. स्वीकार्य है। यदि माल या उससे विनिर्मित माल अनुसूची 'ई' में निर्धारित परिस्थितियों में निपटाया जाता है तो आई.टी.सी. तदनुसार अनुमत नहीं किया जाएगा और यदि माल अंशतः अनुसूची 'ई' में निर्दिष्ट परिस्थितियों में निपटाया जाता है और अंशतः अन्य अनुसार तो आई.टी.सी. आनुपातिक आधार पर अनुमत किया जाएगा। इस प्रकार माल या उससे विनिर्मित माल का स्टाक यदि शून्य हो जाता है तो शेष असमायोजित अधिक आई.टी.सी., यदि कोई हो, तो सरकारी खाते में व्यपगत हो जाएगा। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 38 में कर के अतिरिक्त, बचाए गए कर की राशि की तिगुनी राशि की पेनलटी के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रेवाड़ी की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने दिसंबर 2011 और अगस्त 2013 के दौरान देखा कि एक डीलर को 6.10.2006 से ऑयल कंपनियों की सूची में शामिल किया गया था। कंपनी ने राज्य में अन्य ऑयल कंपनियों से ₹ 16.13 करोड़ के वैट के भुगतान के बाद ₹ 373.03 करोड़ मूल्य के 114176 किलो लीटर (के.एल.) पैट्रोल और डीजल खरीदा और पूरा स्टाक ₹ 327.09 करोड़ के निम्नतर मूल्य पर बेच दिया। डीलर, हानि की समनुरूप मूल्य के

¹ अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव (पूर्व), गुडगांव (पश्चिम), जगाधरी, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा तथा सोनीपत।

लिए आई.टी.सी. दावे का हकदार नहीं था क्योंकि कोई स्टाक बचा नहीं था। अस्वीकार्य आई.टी.सी. का दावा ₹ 3.36² करोड़ था।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा बताया कि त्रुटि को सुधारने के लिए उपचारात्मक उपाय प्रक्रियाधीन हैं।

2.2.2 पैट्रोलियम उत्पादों पर अनुमत आई.टी.सी.

अनुसूची 'ई' (मद-1) के साथ पठित एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार पैट्रोलियम उत्पादों, जब ईंधन के रूप में प्रयोग किए गए हों, पर कोई आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं है मामले की पुष्टि (अगस्त 2011) राज्य सरकार द्वारा भी की गई थी।

चार डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)³ कार्यालयों के रिकार्ड की नमूना-जांच के दौरान, हमने देखा कि चार मामलों में चार डीलरों ने 2006-07 से 2010-11 के दौरान ₹ 4.72 करोड़ के मूल्य के एच.एस.डी., फरनेस ऑयल और एल.पी.जी. खरीदे और उन्हें ईंधन के रूप में प्रयोग किया। अतः डीलरों को कोई आई.टी.सी. अनुमत नहीं था। ए.एज ने, नवंबर 2009 और फरवरी 2013 के मध्य इन मामलों में कर निर्धारण अंतिम करते समय आई.टी.सी. की अनुमति दे दी। इसके फलस्वरूप ₹ 38.48 लाख की आई.टी.सी. की अधिक स्वीकृति हुई।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की।

2.2.3 अविकीत माल पर अनुमत आई.टी.सी.

एच.वी.एट.टी. अधिनियम 2003 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, माल के क्रय पर आई.टी.सी., राज्य में माल के उसी रूप में अथवा उससे विनिर्मित माल की बिक्री अथवा भारत की सीमा से बाहर माल के निर्यात को छोड़कर अंतर्राजीय व्यापार अथवा वाणिज्य पर कर देयता के विरुद्ध स्वीकार्य है। सरकार ने भी स्पष्टीकरण दिया (अप्रैल 2013) कि कोई आई.टी.सी. अनुमत नहीं था यदि ड्यूटी एंट्री पासबुक (डी.ई.पी.बी.)/खरीदा गया आयात लाइसेंस बेचा नहीं जाए और देय कस्टमज ड्यूटी के समायोजन के लिए प्रयुक्त किया गया हो।

चार⁴ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के रिकार्ड की नमूना-जांच के दौरान, हमने देखा कि नौ मामलों में नौ डीलरों ने 2006-07 और 2009-10 के दौरान ₹ 0.66 करोड़ के वैट के भुगतान के बाद ₹ 16.36 करोड़ के मूल्य के डी.ई.पी.बी./आयात लाइसेंस खरीदे। डीलरों ने उनके द्वारा देय कस्टम ड्यूटीज के समायोजन के लिए इनका प्रयोग किया। चूंकि माल डीलरों द्वारा नहीं बेचा गया था, कोई आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं थी। ए.एज ने मार्च 2010 और मार्च 2013 के मध्य इन मामलों में कर निर्धारण अंतिम करते समय डीलरों के आई.टी.सी. दावे अनुमत कर दिए। इसके फलस्वरूप ₹ 0.66 करोड़ के आई.टी.सी. की गलत स्वीकृति हुई।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा बताया कि त्रुटि को सुधारने के लिए उपचारात्मक उपाय प्रक्रियाधीन हैं।

² वर्ष 2006-07 के लिए ₹ 1.33 करोड़ की अग्रनीत हानि सहित।

³ फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव (पूर्व), कैथल तथा पानीपत।

⁴ फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव (पूर्व), रेवाड़ी तथा सोनीपत।

2.2.4 आईटीसी का गलत /कम रिवर्सल

संबंधित नियमों के साथ पठित, एच.वी.एटी. अधिनियम 2003 की धारा 8 के प्रावधानों और अनुसूची -ई की प्रविष्टि 5 (iii) और (iv) के अनुसार, यदि राज्य में खरीदे गए किसी माल के संबंध में आईटीसी. ले लिया गया हो परंतु ऐसा माल करमुक्त के रूप में बेचा गया हो या तत्रैव अनुसूची में उल्लिखित परिस्थितियों में बाद में प्रयुक्त किया गया हो अथवा निपटाया गया हो, ऐसे माल के संबंध में आईटीसी. रिवर्स कर दिया जाएगा।

11 डी.ईटी.सी.⁵ (एस.टी.) कार्यालयों के रिकार्ड की नमूना - जांच के दौरान, हमने देखा कि 30 मामलों में 29 डीलरों ने ₹ 874.81 करोड़ के मूल्य का माल राज्य के बाहर हस्तांतरण किया या भेजा या बिक्री से अन्यथा निपटान किया या करमुक्त बेच दिया और इसीलिए अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ₹ 8.03 करोड़ का आईटीसी. रिवर्सिबल था। एएज ने मार्च 2009 और मार्च 2013 के मध्य इन मामलों में कर निर्धारण अंतिम करते समय केवल ₹ 3.01 करोड़ का आईटीसी. रिवर्स किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.02 करोड़ के आईटीसी. का अत्य/कम रिवर्सल हुआ।

मार्च 2010 और मई 2014 के मध्य इन मामलों को इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2014) कि छः मामलों में, ₹ 9.62 लाख की मांग सृजित की गई थी जो वसूल समायोजित कर ली गई थी।

एग्जिट कॉफ्रेंस के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली तथा बताया कि त्रुटि सुधारने के लिए उपचारात्मक उपाय प्रक्रियाधीन हैं।

2.2.5 पूर्व स्वामित्व प्राप्त कारों पर अनुमत गलत आईटीसी.

अनुसूची 'जी' के साथ पठित, एच.वी.एटी. अधिनियम की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत डीलर द्वारा पूर्व स्वामित्व प्राप्त कारों (पी.ओ.सी.) के पहले विक्रय पर 1,000 सी.सी. तक की इंजन क्षमता वाली प्रति कार ₹ 3,000 तथा 1,000 सी.सी. से अधिक इंजन क्षमता वाली प्रति कार ₹ 5,000 टैक्स है। जब कर एकमुश्त दर पर भुगतान योग्य/प्रभारित है तो डीलर को कोई आईटीसी. स्वीकार्य नहीं है।

2.2.5.1 तीन डी.ईटी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों⁶ की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने अप्रैल और मई 2014 के दौरान देखा कि 12 मामलों में तीन डीलरों ने 2005-06 से 2009-10 के दौरान 12.5 प्रतिशत की दर पर ₹ 3.29 करोड़ वैट के भुगतान के बाद गुडगांव (पूर्व) के एक पंजीकृत डीलर से ₹ 26.34 करोड़ मूल्य के पी.ओ.सी.ज खरीदी। डीलरों ने अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार इन कारों के विक्रय पर एकमुश्त दर पर कर का भुगतान किया और आईटीसी. का दावा किया। एएज ने अप्रैल और मई 2014 के दौरान इन मामलों में कर निर्धारण अंतिम करते समय डीलरों के आईटीसी. के दावे अनुमत कर दिए। यह सही नहीं था।

⁵ फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव (पूर्व), गुडगांव (पश्चिम), झज्जर, पंचकूला, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक तथा सोनीपत।

⁶ फरीदाबाद (पूर्व), गुडगांव (पश्चिम) तथा जगाधरी।

क्योंकि पी.ओ.सी. एकमुश्त दर पर बेची गई थी और इन मामलों में आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.18 करोड़⁷ के आई.टी.सी. की गलत स्वीकृति हुई।

2.2.5.2 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) जगाधरी के एक अन्य मामले में हमने मई 2014 के दौरान देखा कि एक डीलर ने 2005–06 से 2009–10 के दौरान पांच मामलों में ₹ 148.92 करोड़ मूल्य के वाहन (पी.ओ.सी.ज सहित) खरीदे और ₹ 18.59 करोड़ के आई.टी.सी. का दावा किया। ए.ए. ने मार्च 2009 और मार्च 2010 के दौरान कर निर्धारण अंतिम करते समय वर्ष 2005–06 और 2006–07 के लिए उचित विचार विमर्श के बाद ₹ 10.69 लाख के आई.टी.सी. के दावे अस्वीकार कर दिए जबकि ए.ए.ज मार्च 2011 और मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण पूर्ण करते समय वर्ष 2007–08 से 2009–10 के लिए ऐसा करने में विफल रहे।

एमिजिट काफ्रेंस के दौरान सरकार ने बताया कि मामले की विभाग के उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाएगी।

2.2.6 पेंटस पर गलत अनुमत आई.टी.सी.

दो डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों⁸ की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि आठ मामलों में दो डीलरों ने वैट डीलरों से ₹ 75.92 लाख के वैट के भुगतान के बाद ₹ 6.12 करोड़ मूल्य का पेंट खरीदा तथा आई.टी.सी. का दावा किया। पेंट का प्रयोग पी.ओ.सी.ज की सर्विस/मरम्मत और रख-रखाव पर किया गया क्योंकि पेंट पर कोई आउटपुट टैक्स नहीं था, डीलरों को कोई आई.टी.सी. अनुमत नहीं था। ए.ए.ज ने मार्च 2009 तथा मार्च 2013 के मध्य इन मामलों में कर निर्धारण अंतिम करते समय डीलरों के दावे स्वीकृत कर दिए। इसके फलस्वरूप ₹ 75.92 लाख के गलत आई.टी.सी. की अनुमति दी गई। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उसी डीलर के मामले में ए.ए. ने 2005–06 और 2006–07 वर्षों के लिए इस तौर पर ₹ 1.54 लाख के आई.टी.सी. अस्वीकार कर दिए थे।

एमिजिट काफ्रेंस के दौरान सरकार डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुडगांव के पांच मामलों में तथ्य की समीक्षा करने के लिए सहमत हो गई।

2.2.7 आई.टी.सी. के जाली दावे पर कर तथा पेनल्टी का अनुद्घान

अधिनियम की धारा 38 में जाली दस्तावेजों, झूठी सूचना तथा गलत लेखाओं इत्यादि के आधार पर दावों के लिए पेनल कार्रवाई के लिए (न दिया गया कर/दावा किया गया लाभ और तीन गुणा पेनल्टी) प्रावधान है।

दो डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों⁹ में हमने फरवरी 2012 और अप्रैल 2014 के मध्य देखा कि 2005–06 और 2009–10 के दौरान तीन मामलों में तीन डीलरों ने ₹ 14.54 करोड़ (दो मामलों में दस्तावेजों को चालाकी से प्रभावित करने के बाद ₹ 2.11 करोड़ और एक मामले

⁷ (2006–07 के दौरान एक मामले में ₹ 3.29 करोड़ में से ₹ 0.11 करोड़ की अनुमत राशि कम करके दावा किया गया)।

⁸ गुडगांव (पश्चिम) तथा जगाधरी।

⁹ फरीदाबाद (पश्चिम) तथा पंचकूला।

में अविद्यमान डीलर से ₹ 12.43 करोड़) की खरीद पर ₹ 1.70 करोड़ के आईटीसी. का दावा किया। प्रथम दो मामलों में एए/आरए. द्वारा दिए गए आदेशों में डीलरों के मेनस-रिया को पर्याप्त रूप से प्रमाणित कर दिया गया था जहां ₹ 14.93 लाख की आईटीसी. अस्वीकृत की गई थी परंतु ₹ 44.78 लाख की पेनल्टी उद्गृहीत नहीं की गई थी। एए. ने एक मामले में दिसंबर 2012 के दौरान कर निर्धारण अंतिम करते समय क्रयों का सत्यापन किए बिना आईटीसी. अनुमत कर दिया जिसके फलस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ की आईटीसी. की गलत स्वीकृति हुई तथा ₹ 4.66 करोड़ की पेनल्टी भी उद्गृहीय नहीं की गई।

एमिजट काफ्रेंस के दौरान सरकार इस संबंध में आवश्यक निर्देश/गाइडलाईन्स जारी करने के लिए सहमत हो गई।

2.2.8 आईटीसी. का अधिक लाभ

आईटीसी., राज्य के भीतर ही डीलरों द्वारा किए गए क्रयों पर वैट के भुगतान तथा विक्रेता डीलरों द्वारा राज्य को वैट के भुगतान के बाद स्वीकार्य है। खरीदों को लेखाओं की किताबों/डीलर द्वारा फाईल किए रिटर्नस और समाधान विवरणी के अनुसार अपनाया जाता है।

आठ डीईटीसी. (एसटी.)¹⁰ कार्यालयों में रिकार्ड की लेखापरीक्षा के दौरान हमने मार्च 2010 और मई 2014 के मध्य देखा कि 14 मामलों में 14 डीलरों ने फाईल किए गए रिटर्नस/लेखाओं के अनुसार ₹ 225.44 करोड़ आईटीसी. का दावा किया। एएज ने मार्च 2009 और मार्च 2013 के मध्य इन मामलों में कर निर्धारण अंतिम करते समय, ₹ 229.32 करोड़ का आईटीसी. अनुमत कर दिया। इसके फलस्वरूप ₹ 3.88 करोड़ के आईटीसी. की अधिक अनुमति दी गई।

हमारे द्वारा यह इंगित करने पर, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2014) कि तीन मामलों में ₹ 3.11 लाख की मांग सृजित की गई थी और समायोजित/वसूल कर ली गई थी। 2 मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई के लिए भेजे गए थे।

एमिजट काफ्रेंस के दौरान सरकार ने बताया कि एक मामले में, एक डीलर के पास तीन इकाइयां थी तथा सामग्री मुख्य इकाई से अन्य इकाई को हस्तांतरित की गई थी। मुख्य इकाई ने हस्तांतरित माल पर आईटीसी. का दावा नहीं किया था तथा प्राप्तकर्ता इकाइयों ने यह आईटीसी. का दावा किया था यद्यपि ये क्रय लेखे में दर्ज नहीं थी। परंतु ये क्रय, क्रेता इकाई/ट्रांसफरिंग इकाई द्वारा दर्ज हैं। सरकार का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इकाई आस्थगन का लाभ उठा रही थी तथा इस प्रकार, स्कीम को शासित करने वाले प्रतिबंधों एवं शर्तों के साथ कर निर्धारण किया जाना चाहिए था तथा इस इकाई के संबंध में डीलर द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार आईटीसी. अनुमत किया जाना अपेक्षित था।

2.2.9 इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत अग्रनीत किया जाना

संबंधित नियमों के साथ पठित एच.वी.एटी. अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, एक डीलर को ऐसे माल या उससे विनिर्मित माल की बिक्री पर उसके आउटपुट टैक्स के विरुद्ध विक्रेता डीलर द्वारा उसको माल बेचने पर राज्य को भुगतान किए गए कर के कारण आईटीसी. स्वीकार्य है। यदि माल या उससे विनिर्मित माल का निपटान अनुसूची ‘ई’ में

¹⁰

गुडगांव (पूर्व), गुडगांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर, करनाल, पंचकूला, पानीपत तथा रेवाड़ी।

निर्धारित परिस्थितियों में किया जाता है, तदनुसार, आई.टी.सी. अस्वीकृत किया जाएगा और यदि माल का निपटान आंशिक रूप से अनुसूची - ई में निर्दिष्ट परिस्थितियों में तथा आंशिक अन्य रूप से किया जाता है तो आई.टी.सी. आनुपातिक आधार पर अनुमत होगा। इस प्रकार, यदि माल या उससे विनिर्मित माल का स्टॉक शून्य हो जाता है या करमुक्त बेचा जाता है तो शेष असमायोजित अधिक आई.टी.सी. यदि कोई है, तो सरकारी लेखे में व्यपगत हो जाएगा।

चार डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)¹¹ कार्यालयों के रिकार्ड की नमूना - जांच के दौरान, हमने मई 2012 और जून 2014 के मध्य देखा कि आठ डीलरों ने आठ मामलों में माल खरीदा या लेखा और में ₹ 313.23 करोड़ मूल्य की हानि दर्शाई जिस पर ₹ 12.53 करोड़ के आई.टी.सी. का दावा किया गया। ₹ 305.40 करोड़ के मूल्य का माल ₹ 12.22 करोड़ के आऊटपुट कर के साथ कम मूल्य पर बेचा गया और इस प्रकार ₹ 31.60 लाख के मूल्य का अधिक आई.टी.सी. अग्रनीत किया गया।

यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2014) कि तीन मामलों में पुनरीक्षण प्राधिकारी को मामला स्वतः कार्यवाही के लिए भेजा गया था और एक प्रकरण में मामला जांच अधीन था। चार मामलों में विभाग के उत्तर उठाई गई आपत्तियों से प्रासंगिक नहीं थे।

2.2.10 रिकार्ड का अप्रस्तुतिकरण

लेखापरीक्षा ने 12 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों में लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 7,096.69 करोड़ के कर की राशि से आवेष्टित 427 कर निर्धारण फाईलें मांगी थी जिसके विरुद्ध ₹ 4,926.06 करोड़ के कर की राशि से आवेष्टित केवल 354 फाईलें प्रस्तुत की गई थी। शेष ₹ 2,134.63 करोड़ के कर की राशि से आवेष्टित 73 कर निर्धारण फाईलें, कई अनुस्मारकों के बावजूद लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

2.2.11 कम्प्यूटरीकरण

विभाग में कम्प्यूटरीकरण, कर के सुगम सत्यापन, जाली तथा कपटपूर्ण दावों को पहचानने और डीलरों का पता लगाने में सुविधा प्रदान करता है। आगे, यह विभाग को अधिक कुशल, अनुक्रियाशील तथा उत्तरदायी बनाता है। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि राज्य में एच.वी.ए.टी. अधिनियम के प्रारंभ होने से 11 वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद विभाग में कम्प्यूटरीकरण का निम्नतम स्तर भी विद्यमान नहीं था। विभाग के भीतर उचित कम्प्यूटरीकरण के अभाव में, विभागीय मशीनरी मामलों के शीघ्र निपटान, जाली/अविद्यमान डीलरों, अवैध विक्रय/क्रय लेन-देनों को ढूंढने और कर जमा के सत्यापन, आई.टी.सी. के कपटपूर्ण दावों और जाली फार्मों आदि के सत्यापन में असमर्थ थी। ई.टी.सी. हरियाणा ने मार्च 2006 में एक वर्ष में एक वैट डीलर से कुल ₹ 1 लाख से अधिक के सभी क्रय-विक्रय लेन-देनों का क्रास सत्यापन करने के लिए निर्देश जारी किए।

12 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों में हमने देखा कि नमूना - जांच किए गए 316 मामलों में से केवल 302 में कर निर्धारण ₹ 1418.65 करोड़ के आई.टी.सी. से आवेष्टित ₹ 29,210.36 करोड़ मूल्य के विक्रय/क्रय लेन-देनों के सत्यापन के बिना फाइल किए गए थे। इस प्रकार, सत्यापन, डीलरों के संबंध में 4.43 प्रतिशत, क्रयों के संबंध में 0.77 प्रतिशत और आई.टी.सी. के संबंध में 0.92 प्रतिशत था।

¹¹ फरीदाबाद (पश्चिम), पानीपत, रेवाड़ी तथा सिरसा।

एमिट काफ़ेंस के दौरान सरकार ने बताया कि विभाग का कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया अधीन था।

इस प्रकार पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री (चार मामले), न बेचे गए माल (नौ मामले), पूर्व स्वामित्व प्राप्त कारों (12 मामले), पेंट्स (आठ मामले), आईटीसी के जाली दावे (तीन मामले), आईटीसी के अधिक लाभ (14 मामले) तथा आईटीसी को गलत अग्रणीत करने (आठ मामले) के संबंध में आईटीसी की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 24.22 करोड़ के आईटीसी के अस्वीकार्य दावे हुए।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को सूचित किए गए थे (जुलाई 2014); उनका उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (नवंबर 2014)।

2.3 पारगमन बिक्री

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) की धारा 6(2) निर्धारित करती है कि जहां इंटरस्टेट ट्रेड या कार्मस के दौरान किसी माल की बिक्री या तो एक राज्य से दूसरे में ऐसे माल की आवाजाही की गई है या एक राज्य से दूसरे में उनकी आवाजाही के दौरान ऐसी वस्तुओं के टाइटल के दस्तावेजों के ट्रांसफर द्वारा प्रभावित की गई है, एक पंजीकृत डीलर को ऐसे माल के टाइटल के दस्तावेजों के ट्रांसफर द्वारा प्रभावित ऐसी आवाजाही के दौरान कोई अनुवर्ती बिक्री को कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि विक्रेता डीलरों से प्राप्त निर्धारित पत्र ई - I या ई - II निर्धारित फार्म में सर्टिफिकेट तथा क्रेता डीलरों से प्राप्त घोषणा - पत्र फार्म 'सी' प्रस्तुत करता है।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) की धारा 2 (जेड.जी.) के अंतर्गत बिक्री मूल्य का अर्थ है किसी माल की बिक्री के लिए प्रतिफल के रूप में किसी डीलर को देय राशि में से बिक्री के समय पर अनुमत कोई राशि जैसे नकद या ट्रेड डिस्काउंट घटाने पर व्यापार में सामान्यतः प्रचलित प्रथा के अनुसार, लेकिन एक डीलर द्वारा उसकी डिलीवरी के समय या पहले माल के संबंध में किसी चीज के लिए प्रभारित किसी राशि सहित तथा अभिव्यक्ति 'क्रेता मूल्य' तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

2.3.1 पारगमन बिक्री की गलत छूट

2.3.1.1 टर्नकी ठेकेदारों को कटौती

नवंबर 2010 तथा मार्च 2014 के मध्य में नौ डी.ई.टी.सी.जे¹² के कार्यालय के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि 19 ठेकेदारों ने हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.), दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) तथा इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) आदि के लिए टर्नकी आधार पर निर्माण संविदा निष्पादित किए। अप्रैल 2009 तथा मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण अंतिम करते समय, वर्ष 2006 - 07 से 2009 - 10 के लिए 19 डीलरों (ठेकेदारों) के 22 मामलों में ए.ए.ज ने पारगमन बिक्री के कारण टर्नकी ठेकेदारों को ₹ 1,786.09 करोड़ की कटौती अनुमत की। कटौती, बिक्री मूल्य की परिभाषा के साथ पठित

¹² डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (पूर्व) (पांच मामले), गुडगांव (पूर्व) (छः मामले), जगाधरी (एक मामला), कैथल (एक मामला), करनाल (एक मामला), कुरुक्षेत्र (एक मामला), पानीपत (तीन मामले), रोहतक (एक मामला) तथा सिरसा (तीन मामले)।

सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के अंतर्गत छूट के लिए क्वालीफाई नहीं करती। इसीलिए, टर्नकी ठेकेदारों को पारगमन बिक्री की गलत कटौती, अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹ 79.08 करोड़ के कर के अवनिर्धारण हुए। चूंकि करार अनुबंध में इस प्रभाव की एक क्लॉज शामिल की गई थी कि सामग्री की आपूर्ति हेतु करारकर्ता पारगमन में बिक्री के रूप में कथित बिक्री दर्शने के लिए उसे सक्षम बनाने हेतु ठेकेदार को फार्म-'सी' जारी करेगा। हालांकि कटौती ठेकेदार को अनुमत्य नहीं थी।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रोहतक ने मई 2014 में बताया कि मामला रिवीजनल अथोरिटी को स्वतः कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया था। मई/अक्टूबर 2014 में डी.ई.टी.सीज फरीदाबाद (पूर्व), गुडगांव (पूर्व), कैथल, करनाल तथा कुरुक्षेत्र ने बताया कि अन्य दस्तावेजों के साथ फार्म ई-I तथा सी में घोषणाओं की विधिवत् जांच के बाद कटौती सही ढंग से अनुमत की गई थी तथा माल, अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ग्राहकों को सीधे डिलीवर किया गया था। ये माल निर्माण संविदा में विधिवत् शामिल थे। मई 2014 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा ने बताया कि कटौती सही ढंग से अनुमत की गई थी क्योंकि एग्रीमेंट में एक क्लॉज थी कि सामग्री की आपूर्ति पारगमन बिक्री के रूप में दिखाई जाएगी। मई 2014 में डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व), गुडगांव (पूर्व), जगाधरी तथा पानीपत ने बताया कि बी.पी.सी.एल. बनाम हरियाणा राज्य 40 पी.एच.टी. 178 एच.टी.टी.-एल.बी. तथा यू.बी. इंजिनियरिंग कंपनी बनाम हरियाणा राज्य के मामले में विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों तथा एच.टी.टी. के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कटौती सही ढंग से अनुमत की गई थी तथा कर राज्य में उद्ग्राह्य था जहां से सामग्री की आवाजाही शुरू होनी थी।

डी.ई.टी.सीज के उत्तर बिक्री मूल्य की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत नहीं थे तथा हिन्दुस्तान शिपर्याई लिमिटेड बनाम आंध प्रदेश राज्य (2000) 119 एस.टी.सी. (533) (एस.सी.) के मामले में माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट मार्ग-निर्देश निर्धारित किए हैं कि एक 'एक्टिविटी' बिक्री की ट्रांजेक्शन है अथवा वर्क्स काट्रैक्ट। अपैक्स कोर्ट ने अवलोकित किया कि यदि वस्तु, डिलीवरी से पूर्व, पार्टी जिसने इसे डिलीवर करना है, की एकाकी प्रोपर्टी के रूप में कोई वैयक्तिक अस्तित्व है तो यह एक बिक्री है। यदि 'क' एक वस्तु जिसमें हमारे पास कोई पिछली प्रोपर्टी नहीं थी, में मूल्य के लिए प्रोपर्टी हस्तांतरित करता है तो काट्रैक्ट, बिक्री का काट्रैक्ट है। ठेकेदारों द्वारा किए गए संपादन कथित निर्णय को ध्यान में रखते हुए बिक्री के ठेके के अंतर्गत स्केयरली आवृत्त है। कर्नाटक राज्य के माननीय उच्च न्यायालय बनाम ए. एंड जी. प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलोजीज लिमिटेड (2008) 13 बी. एस.टी. 177 (कर्नाटक) भी आडिट के वर्सन का समर्थन करता है।

2.3.1.2 पारगमन बिक्री की गलत कटौती जहां माल सीधे ही अंतिम क्रेता को भेजा गया था

जुलाई 2011 तथा फरवरी 2014 के मध्य नौ डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)¹³ के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के वर्षों के लिए 28 डीलरों के 32 मामलों में फरवरी 2011 से मार्च 2013 के दौरान कर निर्धारणों को फाइनल करते समय एएज ने ई-I तथा सी फार्मों के प्रस्तुतिकरण के विरुद्ध

¹³ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला (छ: मामले), भिवानी (एक मामला), फरीदाबाद (पूर्व) (11 मामले), फरीदाबाद (पश्चिम) (दो मामले), गुडगांव (पूर्व) (छ: मामले), गुडगांव (पश्चिम) (एक मामला), करनाल (तीन मामले), रोहतक (एक मामला) तथा सोनीपत (एक मामला)।

पारगमन बिक्री के कारण ₹ 1,005.02 करोड़ की कटौती अनुमत की। लेकिन कर निर्धारण रिकार्डों के अनुसार यह प्रकट हुआ कि माल प्रथम विक्रेताओं द्वारा सीधे ही अंतिम क्रेताओं को डिस्पैच कर दिया गया था, अतः पारगमन बिक्री की कटौती ऐसे डीलरों को स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि अनुवर्ती बिक्री साबित नहीं की गई थी तथा माल सीधे ही अंतिम क्रेता को डिलीवर कर दिया गया था। तदनुसार, अस्वीकार्य कटौती की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 32.69 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला के पांच मामलों में, रिविजनल प्राधिकारी ने ₹ 46.63 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), तथा करनाल के मामलों में, मामलों को रिविजनल प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही लेने के लिए भेजे गए थे। डी.ई.टी.सी.ज (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव (पूर्व) तथा रोहतक के मामलों में ई - I तथा सी फार्म की जांच के बाद कटौती सही ढंग से अनुमत की गई थी। डी.ई.टी.सी.ज (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव (पूर्व), करनाल तथा सोनीपत ने बताया (मई 2014) कि कटौती बी.पी.सी.एल. बनाम हरियाणा राज्य के मामले में हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल (एच.टी.टी.) के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सही ढंग से अनुमत की गई थी। आगे, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) करनाल ने मई 2014 में बताया कि डीलर कंपनी की अपनी शार्खा गुडगांव में थी तथा माल को सीधे ही शार्खा में भेज दिया गया था तथा गुडगांव डीलर के नाम ई - I फार्म जारी करने में कोई अनौचित्य नहीं था। एक मामले में, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) करनाल का उत्तर सही नहीं था क्योंकि गुडगांव में कोई डीलर रजिस्टर्ड नहीं था। शेष मामलों में डी.ई.टी.सी.ज द्वारा प्रस्तुत उत्तर बिक्री मूल्य की परिभाषा तथा सिनजैक तकनीकी सेवा बनाम केरल राज्य (2009) 25 वी.एस.टी. 165 (केरल) के मामले में माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्णय जिसमें कहा गया था कि अनुवर्ती बिक्री साबित नहीं की गई थी क्योंकि लोरी रसीदों में अन्तिम क्रेता का पता शामिल था, को ध्यान में रखते हुए सही नहीं था।

2.3.2 टर्नकी ठेकेदारों को हाई सी सेल की गलत कटौती

2.3.2.1 सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5(2) प्रावधान करती है कि भारत की सीमा के भीतर माल के आयात के दौरान माल की बिक्री या खरीद तभी हुई मानी जाएगी यदि बिक्री या खरीद से ऐसा आयात हो या जो भारत के कस्टम फ्रंटियर पार करने से पूर्व माल के स्वामित्व के दस्तावेजों के द्वारा प्रभावित हो।

जुलाई 2011 तथा मार्च 2014 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व), गुडगांव (पूर्व) के अभिलेखों की नमूना - जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि चार डीलरों ने हरियाणा राज्य में टर्नकी आधार पर निर्माण अनुबंध निष्पादित किए। वर्ष 2007 - 08 से 2009 - 10 के लिए मार्च 2012 तथा मार्च 2013 में चार डीलरों (ठेकेदारों) के कर निर्धारण फाइनल करते समय ए.ए.ज ने टर्नकी ठेकेदारों को ₹ 2,173.62 करोड़ की हाई सी सेल की कटौती अनुमत की। अनुमत कटौती बिक्री मूल्य की परिभाषा के साथ पठित सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत छूट के लिए क्वालीफाई नहीं करती। इसीलिए, अस्वीकार्य कटौती की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 113.55 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुडगांव (पूर्व) का एक मामला स्वतः कार्रवाई के लिए रिविजनल प्राधिकारी को भेज दिया गया था तथा दूसरे मामले में दस्तावेजों तथा हाई सी सेल के एग्रीमेंट आदि की जांच के बाद ही कटौती

सही ढंग से अनुमत की गई थी। विभाग का उत्तर सही नहीं था क्योंकि हाईसी. सेल का एग्रीमेंट नई दिल्ली के डीलर के पास था तथा माल सीधे ही पश्चिम बंगाल डीलर को भेज दिया गया था। आगे, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व) के एक मामले में डीलर अपनी ओर से विदेशी आपूर्तिकर्ता से माल की डिलीवरी लेने के लिए कांट्रैक्टटी द्वारा प्राधिकृत था तथा दूसरे मामले में कटौती इनड्यूर लिमिटेड बनाम सी.टी.ओ. (2010) ९ एस.सी.सी. 461(एस.सी.) के मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सही ढंग से अनुमत की गई थी।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व) का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि उत्तर की पुष्टि में कोई दस्तावेज रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे। आगे, बिक्री मूल्य की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए तथा कंट्रैक्ट एग्रीमेंट में शामिल कलॉज का वर्क्स कंट्रैक्ट में प्रयोग के लिए आयात किया गया माल हाई सी सेल के रूप में दर्शाया जाएगा, छूट स्वीकार्य नहीं थी।

इसी प्रकार के मामले वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के लिए पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में भी इंगित किए गए थे तथा सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली थी।

2.3.2.2 आयात के दौरान बिक्री

डी.ई.टी.सी.ज (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व) तथा गुडगांव (पूर्व) के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान सितंबर 2013 तथा फरवरी 2014 में हमने अवलोकित किया कि फरीदाबाद (पूर्व) के एक डीलर ने टर्नकी आधार पर निर्माण अनुबंध निष्पादित किया तथा गुडगांव (पूर्व) के एक डीलर ने आईटी.प्रोडक्ट्स आदि में ट्रेड किया। वर्ष 2009–10 के लिए दिसंबर 2012 तथा मार्च 2013 में दो डीलरों के कर निर्धारण फाइनल करते समय ए.एज ने ₹ 68.78 करोड़ के आयात के दौरान बिक्री की कटौती अनुमत की। लेकिन ऐसी कटौती की अनुमति के लिए, गोएसक्के एवं डेबरियंट आई.पी. लिमिटेड बनाम बिक्री कर आयुक्त दिल्ली (2012) 47 वी.एस.टी. 343 (दिल्ली) के मामले में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के निर्णय को ध्यान में रखते हुए शर्तों को पूरा नहीं किया गया था। इसीलिए आयात के दौरान बिक्री की गलत कटौती की अनुमति परिणामस्वरूप ₹ 2.75 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुडगांव (पूर्व) का एक मामला स्वतः कार्रवाई के लिए रिविजनल प्राधिकारी को भेज दिया गया था। आगे, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व) के मामले में कांट्रैक्टरी ने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से माल प्राप्त करने के लिए कांट्रैक्टर को प्राधिकृत किया था। विभाग का उत्तर सही नहीं था क्योंकि रिकार्ड में उत्तर की पुष्टि के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। आगे, बिक्री मूल्य की परिभाषा को देखते हुए ऐसी कोई कटौती टर्नकी ठेकेदार को अनुमत नहीं की गई थी।

इस प्रकार, टर्नकी कंट्रैक्टज को पारगमन बिक्री (19 मामले), हाई सी सेलज (चार मामले) की अनियमित कटौती अनुमत की तथा आयात के दौरान सेल की गलत कटौती (दो मामले) के परिणामस्वरूप ₹ 195.38 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। ई-I तथा ‘सी’ फार्मों के विरुद्ध छूट प्राप्त (पारगमन) सेल के दावे गलती से अनुमत किए 32 मामलों के परिणामस्वरूप ₹ 32.69 करोड़ के वैट का अवनिर्धारण हुआ।

2.4 कर की गलत दर लगाने के कारण कर का अवनिर्धारण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 के अंतर्गत दरें, अनुसूची ए से जी के अनुसार निर्धारित की गई हैं। तथापि, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (1) (ए) (iv) के अंतर्गत, किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत वस्तुओं के अलावा कोई वस्तु 1 जुलाई 2005 से प्रभावी 12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। आगे, कर के भुगतान में चूक के मामले में एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राहय है।

2.4.1 डी.ई.टी.सीज (एस.टी.), करनाल तथा सोनीपत के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान जून 2013 तथा जनवरी 2014 के मध्य हमने अवलोकित किया कि 2009-10 में ₹ 7.97 करोड़ की कीमत पर तीन डीलरों ने मशीनरी पार्ट्स बेचे तथा चार/पांच प्रतिशत की दर पर ₹ 32.25 लाख के कर का भुगतान किया। ए.ए.ज ने अगस्त 2012 से मार्च 2013 के दौरान कर निर्धारण फाइनल करते समय 12.5 प्रतिशत की सही दर, जैसा कि अवर्गीकृत मद के संबंध में लागू है, के ब्याज की बजाय चार/पांच प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 59.94 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 67.39 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

जून 2013 तथा जनवरी 2014 के मध्य यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि मामलों को स्वतः कार्रवाई के लिए रिविजनल प्राधिकारी को भेज दिया गया था।

मामला सरकार को रिपोर्ट किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2014)।

2.4.2 वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार ने 11 सितंबर, 2007 को स्पष्ट किया है कि अल्ट्रा हाई टैम्परेचर (यू.एच.टी.) स्वीटनड फलेवरड मिल्क अल्ट्रा हाई टैम्परेचर मिल्क से भिन्न है जो एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची ‘सी’ प्रविष्टि 81 के अंतर्गत आवृत्त है। अतः, यू.एच.टी. स्वीटनड फलेवरड मिल्क प्रोडक्ट्स 12.5 प्रतिशत कर की सामान्य दर पर कर योग्य हैं तथा सी.एस.टी. रेट वही रेट है जैसा कि राज्य में लागू ‘सी’ फार्म के बिना विक्रेता डीलरों के वैट रेट हैं।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सोनीपत के कार्यालय के रिकार्ड्स की जुलाई 2012 में नमूना-जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि एक डीलर ने वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 2.18 करोड़¹⁴ मूल्य के फरमेट्ड मिल्क ड्रिंक बेचे तथा कर मुक्त बिक्री के रूप में दावा किया। ए.ए. ने भी फरवरी 2012 में कर निर्धारण फाइनल करते समय, 12.5 प्रतिशत की सामान्य दर पर कर उद्गृहीत नहीं किया तथा ₹ 2.18 करोड़ मूल्य कनसाइनमेंट सेल (एफ फार्म के बिना) तथा ‘इंटरस्टेट सेल’ कर मुक्त के रूप में अनुमत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.33 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 27.24 लाख के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

जुलाई 2012 में मामला इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि रिविजनल अथोरिटी द्वारा फरवरी 2014 में ₹ 27.24 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। एसैसी ने एच.टी.टी. के समक्ष अपील फाइल की थी तथा वह लंबित थी।

¹⁴

‘एफ’फार्म के बिना कनसाइनमेंट सेल ₹ 1.82 करोड़ तथा इंटरस्टेट सेल ₹ 35.48 लाख।

2.5 परिकलन गलती के कारण कर का अवनिर्धारण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत कोई कर प्राधिकारी या अपील अधिकारी इसके द्वारा किसी मामले में पास किए गए आदेश की कापी की प्राप्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर, बुरी तरह से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद मामले के रिकार्ड से प्रकट किसी लेखन या गणितीय अशुद्धि को सुधार सकता है।

फरवरी 2014 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), कैथल के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया कि एक डीलर ने 2009-10 के दौरान ₹ 10.93 करोड़ मूल्य की एकमुश्त बिक्री की। ए.ए. ने मार्च 2013 में कर निर्धारण फाइनल करते समय ₹ 43.74 लाख की सही राशि की बजाय चार प्रतिशत की दर पर गलती से ₹ 4.74 लाख का एकमुश्त कर उद्गृहित किया। परिकलन गलती के परिणामस्वरूप ₹ 39.00¹⁵ लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

फरवरी 2014 में यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2014) कि आदेश ₹ 5.48 लाख की एक अतिरिक्त मांग सृजित करके आदेश सुधार दिए गए थे तथा मामले को ₹ 5.48 लाख की देय मांग पर एच.वी.ए.टी. अधिनियम 2003 की धारा 14(6) के अंतर्गत ब्याज उद्ग्रहण के लिए जे.टी.ई.टी.सी. को संशोधन के लिए भेज दिया गया था।

मामला सरकार को रिपोर्ट किया गया था उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2014)।

2.6 नकली घोषणा फार्म 'सी' के प्रस्तुतीकरण द्वारा कर का अपवंचन

सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 की धारा 8(4) प्रावधान करती है कि इंटरस्टेट ट्रेड या वाणिज्य के दौरान किसी बिक्री पर उप धारा (1) के अंतर्गत रियायत लागू नहीं होगी जब तक कि डीलर माल को बेचते हुए पंजीकृत डीलर, जिसको फार्म में निर्धारित विवरणों सहित माल बेचा जाता है, द्वारा सही तरह से भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित एक घोषणा फार्म कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं करता है। ई.टी.सी. ने मार्च 2006 में निर्देश जारी किए कि विशेष ट्रेडरों (संवीक्षा के लिए चयनित) के मामले में एक वर्ष में एक सिंगल वैट डीलर से कुल ₹ एक लाख से ज्यादा के सभी लेन-देनों में क्रास जांच की जानी चाहिए। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत जुर्माना भी उद्ग्राह्य था।

मई 2013 से मार्च 2014 के मध्य डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद (पूर्व) करनाल तथा सोनीपत के कार्यालयों की नमूना-जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया कि वर्ष 2009-10 से 2010-11 के वर्षों के दौरान चार डीलरों ने ₹ 9.79 करोड़ के बिक्री मूल्य के लिए घोषणा फार्म 'सी' पर कर की रियायती दर क्लेम की। ए.ए. ने रेकटीफिकेशन के समय (मई 2013) लेन-देन की जांच किए बिना फार्म 'सी' को स्वीकार किया तथा फार्म 'सी' पर ₹ 83.52 लाख की रियायत अनुमत की जो क्रास जांच पर नकली पाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.50 करोड़ की पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 83.52 लाख की राशि के कर का अपवंचन हुआ।

¹⁵ ₹ 43.74 लाख - ₹ 4.74 लाख ₹ = 39.00 लाख।

मई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य यह इंगित किए जाने पर विभाग ने अक्तूबर 2014 में बताया कि मामले को पुनः कर निर्धारण के लिए लिया गया था तथा आदेश सुधार दिए गए थे। डीलर ने मामले की एक याचिका फाइल की थी। डी.ई.टी.सी. (एस.ओ.), करनाल के एक मामले में, मामला रिविजनल अथोरिटी को स्वतः कार्रवाई करने हेतु भेजा गया था तथा डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सोनीपत के अन्य दो मामलों में डीलरों को नोटिस जारी कर दिए गए थे।

मामला सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2014)।

2.7 सरचार्ज का अनुद्ग्रहण

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) की धारा 7(ए) के अनुसार 02 अप्रैल 2010 से प्रभावी कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज के रूप में एक अतिरिक्त कर उद्ग्रहणीय था। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ने 10 फरवरी, 2014 को स्पष्ट किया कि निर्माण ठेकेदार जिन्होंने कर के एवज में एकमुश्त के भुगतान का ऑपशन लिया था, भी एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(ए) के अंतर्गत सरचार्ज की देयता के निर्वहन के लिए उत्तरदायी है।

नवंबर 2013 से मार्च 2014 के मध्य, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद (पूर्व तथा पश्चिम), के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना - जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया कि 66 डीलरों के, वर्ष 2010 - 11 तथा 2011 - 12 के दौरान ₹ 469.55 करोड़ मूल्य की बिक्री पर चार प्रतिशत की दर पर ₹ 18.78 करोड़ के कर निर्धारित किए गए थे। अप्रैल 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण फाइनल करते समय ए.ए.ज ने वैट के अंतर्गत ₹ 18.78 करोड़ के निर्धारित कर पर पांच प्रतिशत की दर से सरचार्ज नहीं लगाया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 93.90 लाख के सरचार्ज का अनुद्ग्रहण हुआ।

नवंबर 2013 से मार्च 2014 के मध्य यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पश्चिम) के दस मामलों में ₹ 13.46 लाख की मांग सृजित की गई थी तथा शेष मामलों को स्वतः कार्रवाई के लिए रिविजनल प्राधिकारी को भेज दिया गया था।

2.8 एस.ई.जैड. यूनिटों को बिक्री की गलत कटौती के कारण कर का अवनिर्धारण

(i) प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग ने मैसर्ज फ्रेश एस.ई.जैड., फेज - I, सोहना (गुडगांव) के मामले में 19 फरवरी 2013 को स्पष्ट किया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जैड.) के डेवल्पर, को बिक्री में कर के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त नहीं है सेज एरिया में एक यूनिट स्थापित करने पर केवल व्यक्तिगत डीलर को छूट प्राप्त है।

अप्रैल 2013 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), सोनीपत के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना - जांच के दौरान, हमने देखा कि एक डीलर ने वर्ष 2009 - 10 के दौरान ₹ 71.67 लाख मूल्य की सामग्री (स्कैफफोल्डिंग) एक डेवल्पर को बेची। मार्च 2013 में कर निर्धारण फाइनल करते समय, ए.ए. ने एस.ई.जैड. बिक्री के विचार से डीलर को ₹ 71.67 लाख की कटौती गलती से अनुमत कर दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.37 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 8.96 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ था।

अप्रैल 2013 में यह इंगित किए जाने पर, अक्टूबर 2014 में विभाग ने बताया कि मामले को स्वतः कार्रवाई लेने के लिए रिविजनल प्राधिकारी को भेज दिया गया है।

अप्रैल 2014 में हमने मामला सरकार को रिपोर्ट किया था, हमें उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवंबर 2014)।

(ii) जनवरी 2014 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुडगांव (पश्चिम) के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, हमने देखा कि एक ठेकेदार ने वर्ष 2008-09 के दौरान राई तथा सोनीपत के सेज एरिया में अधिसूचित परियोजनाओं में ₹ 107.16 करोड़ मूल्य के निर्माण कार्य निष्पादित किए थे। मार्च 2012 में कर निर्धारण फाइनल करते समय, ए.ए. ने गलत ढंग से डीलर को एस.ई.जे.ड. बिक्री के विचार से ₹ 107.16 करोड़ की छूट अनुमत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.60 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 4.29 करोड़ के कर को अवनिर्धारण हुआ।

जनवरी 2014 में यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2014) कि मामले को स्वतः कार्रवाई के लिए रिविजनल प्राधिकारी को भेज दिया गया था।

मामला सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2014)।

2.9 कर के अप्राधिकृत संग्रहण के लिए कर तथा दंड का न लगाना

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एच.वी.ए.टी.) अधिनियम, 2003 की धारा 9(2) के अंतर्गत, कोई भी डीलर, जिसके मामले में उप धारा (1) के अंतर्गत कम्पोजिशन लागू है, उसके द्वारा माल की बिक्री के लिए टैक्स इन्वाएस जारी नहीं करेगा। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत पेनल्टी भी उद्घाटित है, यदि कोई डीलर जो एक पंजीकृत डीलर नहीं है या अन्य प्रकार से कर संग्रहण के लिए प्राधिकृत नहीं है, राज्य में उसके द्वारा माल की किसी बिक्री के संबंध में कोई राशि कर द्वारा संग्रहित करेगा तथा कोई भी पंजीकृत डीलर कोई ऐसा संग्रहण नहीं करेगा, सिवाएँ इस अधिनियम के अनुसार, ऐसे डीलर को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उसे उस कर जिसके लिए उसका कर निर्धारण किया गया है अथवा कर निर्धारण किया जाना देय है या इस तरह संगृहित कर की राशि के समान राशि के अतिरिक्त उसे पेनल्टी के रूप में भुगतान के निदेश दे सकता है।

सितंबर 2013 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), रोहतक के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया कि एक निर्माण ठेकेदार ने वर्ष 2009-10 के लिए कम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत एकमुश्त कर के भुगतान के लिए विकल्प दिया। ठेकेदार ने कुरुक्षेत्र में एक डीलर को 12.5 प्रतिशत की दर पर ₹ 51.68 लाख की बिक्री की थी तथा ₹ 6.46 लाख का कर संग्रहित किया। ए.ए. कुरुक्षेत्र द्वारा लेन-देन ए.ए. रोहतक से जांच करवाया गया था (जुलाई 2012) तथा डी.ई.सी. रोहतक ने सूचित किया कि चूंकि ठेकेदार ने एकमुश्त कर के भुगतान के लिए विकल्प दिया था, इस प्रकार, कानून के अनुसार कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमत नहीं किया जा सकता था। तथापि, मार्च 2013 में कर निर्धारण फाईनल करते समय ए.ए. ने ₹ 6.46 लाख का कर लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की तथा कर के अप्राधिकृत संग्रहण के लिए कोई पेनल्टी भी नहीं लगाई थी यद्यपि मामला पहले से ही ए.ए. को ज्ञात था।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.46 लाख की पेनल्टी के अलावा ₹ 6.46 लाख के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

सितंबर 2013 में यह इंगित किए जाने पर विभाग ने अक्तूबर 2014 में बताया कि मामले को पुनः कर निर्धारण के लिए रिविजनल प्राधिकारी द्वारा ए.ए. को वापस भेज दिया गया था।

मामला सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2014)।

2.10 अनियमित कटौती अनुमत करने के कारण कर का अवनिर्धारण

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एच.वी.ए.टी.) अधिनियम, 2003 की धारा 2(यू) परिभाषित करती है कि किसी डीलर के संबंध में यदा - कदा प्रयुक्त 'ग्रॉस टर्नओवर' का अर्थ है ऐसे डीलर द्वारा प्रमुख, एजेंट या अन्य किसी सामर्थ्य में किसी माल को बेचे जाने के संबंध में प्राप्त अथवा प्राप्य बिक्री मूल्य का योग तथा राज्य से बाहर निर्यात या बिक्री से अन्य किसी प्रकार से निपटाए गए माल को शामिल करती है। तथापि, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 6 (1) के अनुसार ग्रास टर्नओवर से कटौती की जाएगी।

जनवरी 2013 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), भिवानी के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना - जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया कि वर्ष 2008 - 09 के दौरान एक डीलर का ग्रास टर्नओवर, डीलर के लाभ तथा हानि खाता तथा आर - 2 (अंतिम रिटर्न) के अनुसार ₹ 49.75 करोड़ था। जनवरी 2012 में ए.ए. ने कर निर्धारण फार्झनल करते समय लेबर वैलफेयर फंड को भुगतान के कारण ₹ 1.84 करोड़ की कटौती अनुमत की जैसा कि समाधान विवरणी में दिखाया गया है, जबकि तत्रैव धारा के अनुसार ये कटौतियां, ग्रास टर्नओवर से अनुमत नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.03 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

जनवरी 2013 में यह इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि उपर्युक्त कटौतियां सितंबर 2008 में डीलर के समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) में ईयरमार्क थी। विभाग का उत्तर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं था। इसके अलावा एम.ओ.यू. के क्लॉज 7 के अनुसार इस फंड में जमा करवाई गई राशि रेडक्रास को डोनेशन के रूप में मानी जाएगी। अतः इस डोनेशन के कारण कटौती अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं थी।

मामला सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2014)।